

172

48

श्री. मो. एवं अनिश
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा ₹ १०००/- AS-301-



R 5348-II/16

AS-301-

रामसुमिरन पटेल तनय श्री रामनाथ पटेल निवासी ग्राम नवागांव कोठार

करहा टोला तहसील मनगवां जिला रीवा ₹ १०००/- -----निगरानीकर्ता

बनाम

अधिवक्ता श्री अशोक
सिंह छाटा प्रस्तुत।
29.7.16

1. राजनारायण पटेल तनय श्री रामनाथ पटेल

ज. ज. आफ कोर्ट 2. अशुमान सिंह पटेल पिता श्री रामनाथ पटेल

राजस्व मण्डल ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

दोनो निवासी ग्राम नवागांव कोठार करहा टोला तहसील मनगवां

जिला रीवा ₹ १०००/-

----- गैरनिगरानीकर्ता गिण

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील
मनगवां जिला रीवा ₹ १०००/- राजस्व प्रकरण क्रमांक
04/स-5/15-16 दिनांक 27-5-2016.

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मद्रास
राजस्व संहिता सन् 1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नक्शा तरमीम आदेश
दिनांक 27-5-2016 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये
जाने योग्य है ।

2. यह कि मौजा नवागांव कोठार तहसील मनगवां जिला रीवा की
रामसुमिरन पटेल

Handwritten signature

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... R.5342-II/16 जिला रीवा

..... समस्त चित्त परत विरुद्ध राजाराधन वैद्य

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अमरेन्द्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह नमस्त्र तहसीलदार तहसील <u>मनगवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>04/MS/2015-2016</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27.05.16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>28.3.19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>h</u> सक्ष्य</p>	

[Handwritten signature/initials]

2. यह कि मौजा नवागांव कोठार तहसील मनगवां जिला रीवा की समस्त चित्त परत